

प्रारूप- 21 ग
(नियम 64 देखिये)
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

44-पिथौरागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन ।


निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री मयूख महर,
ग्राम-चैसर, पोस्ट-विण, तहसील व जिला- पिथौरागढ़
[जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए]

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान:- पिथौरागढ़
तारीख:-10/03/2022

* जो समुचित न हो उसे काट दीजिए ।


रिटर्निंग ऑफिसर,
रिटर्निंग ऑफिसर
44-पिथौरागढ़

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is Contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand State from **44-Pithoragarh**. Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-


MAYUKH MAHAR

Vill-Chaisar, Post- Bin, Tehsil & District- Pithoragarh

[Sponsored by **Indian National Congress**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Pithoragarh

Date: 10/3/2022


Returning Officer
रिटर्निंग ऑफिसर
44-पिथौरागढ़

*Score out, if inappropriate.